भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी – II)
उत्तर प्रदेश , प्रयागराज
Indian Audit and Accounts Department
Office of the Accountant General (A&E-II)
Uttar Pradesh, Prayagraj

सत्यमेव जयते

पत्रांक : ले०ह०-II/नि०स०(प्र०)/ग्रुप-II/परिपत्र/ 443,444, दिनांक 25.02.2025

अति आवश्यक

सेवा में,

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता/संबन्धित खंड
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संबन्धित खंड

विषय : मासिक लेखा प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत करना है कि खण्डों से मासिक लेखे समय से न प्राप्त होने के कारण लेखा संकलन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा मासिक सिविल लेखा तैयार करने में विलंब की संभावना बनी रहती है। यद्यपि ससमय लेखा प्रेषण हेतु खंडों एवं विभागों को नियमित पत्र प्रेषित किए जाते रहे है, तथापि विभिन्न खण्डों द्वारा मासिक लेखा विलंब से प्रेषित किया जा रहा है, जिसे महालेखाकार महोदय ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है तथा ससमय लेखा संकलन पूर्ण किए जाने हेतु, निर्देशित किया है कि **खण्डों से मासिक लेखा प्रत्येक दशा मे प्रत्येक माह के 07 तारीख तक इस कार्यालय में अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।** ससमय लेखा प्रेषण हेतु यदि आवश्यकता हो तो संदेशवाहक के माध्यम से भी कार्यालय को लेखा प्रेषित किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने खण्ड का माह फ़रवरी 2025 का मासिक लेखा नियमानुसार तैयार करा कर 07 मार्च 2025 के पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **विलम्ब से लेखा प्राप्त होने के कारण राज्य लेखा से विलग होने की स्थिति में सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी खण्ड की होगी।**

भवदीय

Digitally signed by
Chauharja Prasad Sing
Date: 25-02-2025
15:31:38

वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि०स०(प्र०)

पत्रांक : ले०ह०-II/नि०स०(प्र०)/ग्रुप-II/परिपत्र/ 445, 446, दिनांक 25.02.2025

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1. संबन्धित खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से करना सुनिश्चित करें।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग उ0प्र0 लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु अपने अधिनास्थों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

25/2/25

वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि०स०(प्र०)